(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-3 (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

नई दिल्ली, तारीख: 08अगस्त, 2014

आदेश

का.आ. 2027 (अ) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना संख्या.का.आ. 1895 (अ.) तारीख 24 जुलाई, 2014 द्वारा खादी और ग्रामोद्योग आयोग के भंग हो जाने पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 73 के खण्ड (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार के संकल्प के द्वारा 'खादी और ग्रामोद्योग आयुक्त' के नाम पर एक प्राधिकारी की स्थापना करती है, जो संख्यांक 6 (1)/2011-केवीआई-II द्वारा, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खण्ड 1 तारीख 08 अगस्त, 2014, में प्रकाशित की गई थी, अतः केन्द्रीय सरकार आदेश करती है कि उक्त आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री उदय प्रताप सिंह, खादी और ग्रामोद्योग आयुक्त, मुंबई के कृत्यों के निर्वहन उक्त अधिकारी द्वारा अपने वर्तमान प्रभार के साथ-साथ अगले आदेशों तक करेंगे।

(फाइल सं. 6 (1)/2011-केवीआई-II)

बी.एच. अनिल कुमार

(बी.एच. अनिल कुमार)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-1, खण्ड-। में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

उद्योग भवन, नई दिल्ली

नई दिल्ली, तारीख 08 अगस्त, 2014

संकल्प

फा.सं. 6(1)/2011-केवीआई-।। : केन्द्रीय सरकार ने खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956(1956 का 61) की धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खादी और ग्रामोद्योग आयोग (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आयोग कहा गया है) की अधिसूचना का.आ. 1895(अ.) को तारीख 24 जुलाई, 2014 द्वारा विघटित कर दिया था;

और उक्त अधिनियम की धारा 25 के उपधारा 2 के खण्ड (क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसार 24 जुलाई, 2014 की उक्त तारीख के ठीक पहले उक्त अधिनियम के उद्देश्यों के अधीन सभी संपत्तियां और निधियां जो आयोग के अधिकार में थी, केन्द्रीय सरकार में निहित कर दी गई हैं;

और अध्यक्ष सहित सभी सदस्यों ने आयोग के विघटित होने पर आयोग के सदस्यों अथवा अध्यक्ष के रूप में पद रिक्त कर दिया है;

और पूर्व आयोग की सभी सम्पत्तियां और निधियां, जो कि आयोग के विघटित होने के पश्चात् अब केन्द्रीय सरकार में निहित हो गई हैं, नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी के माध्यम से केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रशासित होना अपेक्षित है;

और विघटित होने से पूर्व आयोग के द्वारा क्रियान्वित की जा रही सभी विद्यमान नीतियां, कार्यक्रमों, स्कीमों तथा अन्य संबंधित क्रियाकलाप को समान निबन्धनों और शर्तों पर जारी रखना आवश्यक है।

अब, केन्द्रीय सरकार भारत संविधान के अनुच्छेद 73 के अधीन प्रदत्त शक्तियों कर प्रयोग करते हुए, संकल्प करती है कि खादी और ग्रामोद्योग आयुक्त के नाम से एक प्राधिकार का गठन किया जाए जो कि उक्त आयोग की सभी सम्पत्तियों और निधियों की देखभाल करेगा, जो इसके विघटित होने के समय इसके अधिकार में थी तथा खादी और ग्रामोद्योग आयोग सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा और सभी कृत्यों का निर्वहन करेगा, जिन्हें इससे पूर्व उक्त आयोग द्वारा खादी और ग्रामोद्योग अधिनियम, 1956(1956 का 61), खादी और ग्रामोद्योग आयोग

नियम, 2006 और उसके अधीन बनाए गए विनियमों के विभिन्न उपबन्धों के अधीन आयोग द्वारा अनुपालन किया जा रहा था;

2. केन्द्रीय सरकार यह और संकल्प करती है कि खादी और ग्रामोद्योग आयुक्त, संगठन के समुचित कृत्यों के लिए उत्तरदायी होगा तथा निम्नलिखित कार्य सम्पादित करेगा अर्थात्:-

i. संगठन के सभी विभागों और अधिकारियों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखेगा;

ii. खादी और ग्रामोद्योग के स्थापन और विकास की योजना, संवर्धन, संगठन और सहायता में ग्रामीण विकास में लगे अन्य अभिकरणों के साथ, जहां आवश्यक हो, समन्वय करना;

iii. खादी और ग्रामोद्योग में नियोजित या रोजगार प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों के प्रशिक्षण की योजना बनाना और उसका आयोजन करना;

iv. कच्ची सामग्री और उपकरणों का आरक्षिति निर्मित करना तथा उन्हें ऐसी दरों जो विनिश्चित् की जाए, ऐसे व्यक्तियों को आपूर्ति करना जो कि हस्तनिर्मित रेशे या खादी और ग्रामोद्योग के उत्पादन में लगे या लगने की संभावना है;

v. कच्ची सामग्रियों या अर्द्धनिर्मित वस्तुओं के प्रसंस्करण के लिए सामान्य सेवा सुविधाओं के सृजन को प्रोत्साहित करना और सहायता प्रदान करना तथा खादी या ग्रामोद्योग उत्पादों के उत्पादन तथा विपणन को अन्यथा सुविधा प्रदान करना;

vi. खादी की बिक्री एवं विपणन और ग्रामोद्योग उत्पादों की बिक्री और विपणन का संवर्धन;

vii. खादी और ग्रामोद्योगों में उपयोग की जा रही प्रौद्योगिकी में अनुसंधान को प्रोत्साहित करना तथा प्रोन्नत करना, जिसके अंतर्गत उत्पादकता बढ़ाने, नीरसता कम करने की दृष्टि से, अ-पारंपरिक ऊर्जा और विद्युत शक्ति का उपयोग तथा उनकी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता में वृद्धि करना और ऐसे अनुसंधान से प्राप्त विशिष्ट परिणामों के प्रसार की व्यवस्था करना भी है;

viii. खादी और ग्रामोद्योगों की समस्याओं का सीधे अथवा किसी अन्य अभिकरण से अध्ययन कराना;

ix. खादी और ग्रामोद्योग के विकास और प्रचालन से जुड़ी संस्थाओं अथवा व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना तथा उन्हें उत्पादन एवं सेवाओं के प्रयोजन के लिए डिजाइन, प्रोटोटाइप और अन्य तकनीकी जानकारी देते करते हुए मार्गदर्शन प्रदान करना;

x. प्रयोगिक अथवा आरंभिक परियोजना संचालित करना, जो खादी और ग्रामोद्योग उद्योगों के विकास के लिए आवश्यक हो;

xi. उपर्युक्त किसी अथवा सभी मामले को संचालित करने के लिए पृथक संगठन को रखना है;

xii. विशुद्धता सुनिश्चित करना और क्वालिटी के मानक स्थापित करना जिससे खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों में उक्त मानके की पुष्टि हो सके, इसके अंतर्गत में संबंधित व्यक्तियों को मान्यता के लिए प्रमाणपत्र अथवा पत्र जारी करना भी है;

xiii. केन्द्रीय सरकार की विभिन्न स्कीमों को कार्यान्वित करना जैसे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, विपणन विकास सहायता, खादी सुधार और विकास कार्यक्रम आदि ओर पूर्व आयोग द्वारा वैसी ही स्कीमों को कार्यान्वित करना;

xiv. प्रत्येक वर्ष में इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के लिए विनिर्दिष्ट तारीख अनुसार बजट तैयार करना और प्रस्तुत करना;

xv. संगठन का प्राप्तियों और व्यय का लेखों को रखना और उनका अनुरक्षण करना;

xvi. व्यापारिक और अन्य क्रियाकलापों के लिए स्वयं या इस संबंध में उसके द्वारा किसी अधिकारी को अधिकारी संविदा करने के लिए प्राधिकृत करना परन्तु स्वीकृत बजट में इसका उपबंध किया विद्यमान हो;

xvii. केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर खादी और ग्रामोद्योग के लिए बनाए गए ऋण नियमों उपबंधों के अनुसार और समय-समय पर एवं प्रत्येक उद्योग के संबंध में सरकार द्वारा मंजूर दरों ओर निबन्धन के अनुसार ऋण प्रदान करना;

xviii. केंद्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी के अनुसार, खादी, ग्रामोद्योग निधि की प्रतिभूति पर अथवा किसी अन्य प्रयोजन के लिए कोई अन्य आस्तियों पर, उसी प्रयोजन के लिए उधार लेना उक्त निधि का अनुप्रत्युक्त करना;

xix. निम्नलिखित किसी या सभी प्रवर्गों के अधीन आने वाली 10,000 रु. तक की राशि वित्तीय सलाहकार के पूर्व परामर्श से बट्टे खाते में डालना, अर्थात्:-

(क) हानि अथवा अवसूलीय मूल्य अथवा लोक धन की चोरी, कपट आदि होने की स्थिति में;
(ख) ऋण से भिन्न हानि एवं अवसूलीय अग्रिम : और
(ग) भण्डार के मूल्य में कमी और अवक्षयण।

xx. हानि के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के विरूद्ध यथोचित कार्रवाई करना और हानि के लिए उत्तरदायी यदि कोई हो व्यक्तियों के विरूद्ध की गई कार्रवाई के साथ विस्तृत रिपोर्ट सरकार को भेजना;

xxi. किसी करार, अभिव्यक्त अथवा विवक्षित अथवा अन्यथा जैसा भी हो, भू-राजस्व के बकाया के रूप में, खादी और ग्रामीण उद्योग आयुक्त का संदेय रकम की वसूली करना;

xxii. किसी अन्य स्कीम अथवा ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना जो केन्द्रीय सरकार द्वारा उन्हें समनुदेशित किए जाए;

xxiii. ऐसी अन्य कर्तव्यों को करना एवं ऐसे अन्य शक्तियों का प्रयोग करना, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा उसे समनुदेशित की जाए;

xxiv. केन्द्रीय सरकार द्वारा लिये गए विनिश्चयों को कार्यान्वित करने की पद्धति के निदेश जारी करना;

xxv. उपरोक्त के अतिरिक्त, कोई अन्य आनुषंगिक कार्य करना।

3. केन्द्रीय सरकार यह भी संकल्प करती है कि पूर्व आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी, वित्तीय सलाहकार एवं सभी अन्य अधिकारी/कर्मचारी, जिसके अंतर्गत व्यापारिक संवर्ग भी हैं, पद पर बने रहेंगे तथा सेवा के मामले में उनकी प्रास्थिति वही होगी जो आयोग को विघटन के समय थी तथा अब से वे खादी और ग्रामीण उद्योग आयुक्त के पर्यवेक्षण और समग्र नियंत्रण में कृत्य करेंगे।

4. केन्द्रीय सरकार यह भी संकल्प करती है कि खादी और ग्रामीण उद्योग आयुक्त, केंद्रीय सरकार से पूर्व अनुमोदन से, इसके प्रभावी कृत्यों के लिए आवश्यकतानुसार ऐसे अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकेंगे तथा खादी और ग्रामीण उद्योग आयुक्त, उक्त आयोग के विघटन होने की तारीख से खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों को लागू विद्यमान नियमों के अनुसार प्रोन्नति, ऋण और अग्रिमों, छुट्टी, अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों के आचरण के संबंध में सभी शक्तियों का प्रयोग करेंगे।

5. केन्द्रीय सरकार यह भी संकल्प करती है कि खादी और ग्रामोद्योग आयुक्त, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) विनियम, 2003 में यथा उपबंधित अनुशासनिक प्राधिकारी के साथ-साथ नियुक्ति प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे।

6. केन्द्रीय सरकार यह भी संकल्प करती है कि इस संबंध के लागू होने से पहले किसी भी समय खादी और ग्रामोद्योग के विकास के संबंध में खादी और ग्रामोद्योग द्वारा या उल्लिखित की गई सभी संविदाएं और विकास तथा बातें लागू होने के पश्चात् खादी और ग्रामीण उद्योग आयुक्त के द्वारा उद्भूत या उसके द्वारा किया गया या उसके द्वारा किया गया समझा जाएगा।

7. केन्द्रीय सरकार इस निमित्त में विधि के द्वारा संसद द्वारा सम्यक विनियोग के पश्चात् खादी और ग्रामीण उद्योग आयुक्त को उपयुक्त कृत्यों के अनुपालन के लिए ऐसी रकम जो वह आवश्यक समझे, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किये जाने वाले संदाय करेगी।

8. केंद्रीय सरकार और यह संकल्प करती है कि:-

(i) खादी और ग्रामीण उद्योग आयुक्त, खादी के विकास, ग्रामोद्योग के विकास अथवा खादी और ग्रामोद्योग के विकास के लिए सरकार अथवा किसी अन्य व्यक्ति से उपहार, अनुदान, दान अथवा लाभ प्राप्त कर सकेगा।

(ii) खादी और ग्रामीण उद्योग आयुक्त तीन प्रथक निधियां, जो खादी निधि, ग्रामोद्योग निधि और साधारण और विविध निधि के नाम से जानी जाती है, को जारी रखेंगे तथा आयुक्त के पक्ष में प्राप्त सभी राशि को इन निधि के नामे करेंगे और इसका उपयोजन उसी प्रयोजन के लिए किया जाएगा, जैसा कि आयोग के भंग किये जाने से ठीक पहले किया जाता रहा था।

(iii) खादी और ग्रामीण उद्योग आयुक्त केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से उपर्युक्त कृत्यों जिसके अनुपालन के लिए, विद्यमान समितियों और उपसमितियों को भी आवश्यक समझे, पुनर्गठित कर सकेगा और नई समितियों और उपसमितियों का गठन कर सकेगा।

9. खादी और ग्रामोद्योग आयुक्त का मुख्यालय मुंबई होगा या ऐसे अन्य स्थान पर होगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निदेश दे।

10. खादी और ग्रामोद्योग आयुक्त किसी कारण से कार्यालय उपस्थित होने में असमर्थ हैं तो केंद्रीय सरकार विशेष रूप से किसी अधिकारी को खादी और ग्रामोद्योग आयुक्त के दायित्वों और कृत्यों का निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी।

11. पूर्ववर्ती उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना खादी और ग्रामोद्योग आयुक्त जब इस संकल्प के अधीन अपनी शक्तियों और कृत्यों का निर्वहन करते समय केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर इसको दी जाने वाली ऐसी सलाह और निर्देश बाध्यकारी होंगे।

(फाइल सं.6/1/2011-केवीआई-।।)

बी.एच. अनिल कुमार

(बी.एच. अनिल कुमार)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार